



प्रेस नोट

दिनांक 24.07.2025

थाना राठ पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चालाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना राठ पुलिस द्वारा अभियुक्त श्रीकान्त पुत्र मोहन लाल को आश्रय गृह मल्हौवा रोड़ कस्बा राठ से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 9/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 16.05.2025 को आवेदक आशेन्द्र अनुरागी पुत्र उमाशंकर निवासी ग्राम बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा के द्वारा दी गई तहरीर के माध्यम से बताया गया कि कुछ अज्ञात लोगो द्वारा उसके साथ मारपीट व हवाई फायर किया गया। आवेदक से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना राठ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 227/2025 धारा 191(2)/115 (2) /288 बी0एन0एस0 बनाम 5-6 व्यक्ति (नाम पता अज्ञात) के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में अभियुक्त श्रीकान्त पुत्र मोहन लाल का नाम प्रकाश में आया था।

अभियुक्त का विवरण

श्रीकान्त पुत्र मोहन लाल (उम्र करीब 18 वर्ष) निवासी ग्राम धमना थाना राठ जनपद हमीरपुर जनपद हमीरपुर।

बरामदगी का विवरण

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित साहू
2. उ0नि0 रामनरेश यादव
3. का0 जितेन्द्र कुमार

